अध्याय 3

ग्राम वनों (Village Forest) के सम्बन्ध में

धारा 28. ग्राम वनों का निर्माण - (1) राज्य सरकार किसी ऐसी भूमि के प्रति या उस पर, जो आरक्षित वन (Reserved Forest) कर दी गई है किसी ग्राम समुदाय को शासन के अधिकार समनुदेशित कर सकेगी और समनुदेशन (Assignment) रद्द कर सकेगी। इस प्रकार समनुदेशित वन "ग्राम वन" कहलावेंगे।

(2) जिस ग्राम समुदाय (Village Community) को ऐसा समनुदेशन किया गया है, उस ग्राम समुदाय के लिये इमारती लकड़ी, या अन्य वन उपज या चराई का उपबन्ध जिन शर्तों के अधीन किया जा सकेगा, उन्हें ऐसे वन के संरक्षण एवं सुधार के लिये, उनके कर्त्तव्यों को विहित करने वाले नियम राज्य सरकार ग्राम वनों के प्रबन्ध को विनियमित करने के लिये बना सकेगी।

(3) इस अधिनियम के वे सब उपबन्ध, जो आरक्षित वनों से सम्बद्ध है, वहाँ तक (जहाँ तक कि वे इस प्रकार बनाये नियमों से असंगत नहीं है) ग्राम वनों को लागू होंगे।